न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 13/2024
अनवान : –

1. राजेश जैन पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांक: 15/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 40/39, रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 170/168, रोही मौजा चक 15 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 27/27, रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 213/194 में प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजेश जैन है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड आदि में दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम राजेश जैन है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम राजेश कुमार के स्थान पर राजेश जैन संशोधित करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज [illegible] किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या [illegible] पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम राजेश जैन है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम राजेश जैन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 40/39, रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 170/168, रोही मौजा चक 15 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 27/27, रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 213/194 में प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम राजेश कुमार के स्थान पर राजेश जैन दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजेश जैन अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 40/39, रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 170/168, रोही मौजा चक 15 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 27/27, रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 213/194 में प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **राजेश कुमार के स्थान पर राजेश जैन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजेश कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजेश कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राजेश कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:33 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 455 दिनांक : 20/05/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 13 / 2024 अनवानी राजेश जैन बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 13 / 2024

अनवान : –

1. राजेश जैन पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 40 / 39, रोही मौजा 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 170 / 168, रोही मौजा चक 15 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 27 / 27, रोही मौजा चक 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 213 / 194 में प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **राजेश कुमार के स्थान पर राजेश जैन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजेश कुमार के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजेश कुमार के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम राजेश कुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:18:33 IST
Reason: SelfAttested